FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0318 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 31/12/2024 17:11 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(1)(c)
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(1)(d)
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(2)
4	भा दं सं 1860	420
5	भा दं सं 1860	409
6	भा दं सं 1860	467
7	भा दं सं 1860	468
8	भा दं सं 1860	471
9	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 06/10/2016 **Date To (दिनांक तक):** 04/12/2023

   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 10:30 बजे **Time To (समय तक):** 10:30 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 31/12/2024 **Time (समय):** 16:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 31/12/2024 17:11:01 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** EAST, 05 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** Karyalya Sram Kalyan Adhikari, Jaislmer

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** Puran Singh

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** Chandan singh

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1991 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	Bersiyala, SAM, SAM, JAISALMER, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	Bersiyala, SAM, SAM, JAISALMER, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	Bhwani Pratap Singh Charan		पिता:Dhan singh	1. Pila Bangla,Hem Singh ji ki Haveli ke Pass,Mhamandir jodhpur,JODHPUR CITY,RAJASTHAN,INDIA

2	Kishan Oad		पिता:Narpatram	1. RCP Colony,Babar Magra Ward no. 42,JAISALMER,RAJASTHAN,IN
3	Jograj Singh		पिता:Bheru Singh	1. Bersiyala,JAISALMER,RAJASTH
4	Amrit lal Oad		पिता:Sonaram Oad	1. Sonaram Od ki Dhani,JAISALMER,RAJASTHAN,
5	Deeparam		पिता:Kesraram	1. Babarmagra,JAISALMER,RAJAS
6	Aaskaran singh Urf Aashu Singh		पिता:jethmal singh	1. Pithla,JAISALMER,RAJASTHAN,
7	Leel Singh And Others		पिता:Chotu singh	1. Bersiyala,JAISALMER,RAJASTH

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant**
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		19,00,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 19,00,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

निवेदन है कि जिला रोजगार अधिकारी भवानी प्रताप सिंह चारण द्वारा वर्ष 2017 में श्रम कल्याण अधिकारी जैसलमेर के पद पर रहते हुए अपने पद का दुरूपयोग करते हुए षड़यन्त्र कर अपने कार्यालय के कर्मचारियो के साथ एक राय होकर ग्राम पंचायत बैरिसियाला के आधा दर्जन लोगों की श्रमिक डायरी फर्जी दस्तावेजो से बन कर उनके फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बना कर श्रमिक डायरी धारको को सामान्य या दुर्घटना में मौत होने पर सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान योजना के आवेदन करवा कर आवेदनो को वितीय स्वीकृती देकर अनुदान योजना को अपने पहचान के लोगो के खाते में राशि ट्रांसफर करवा कर राजकोश का गबन किया गया है। ग्राम पचायत बैरिसियाला के गजे सिंह पुत्र भैरूसिंह व धाउ कंवर पत्नि गजे सिंह के नाम की श्रमिक डायरी बनाने के उपरान्त इनके फर्जी मृत्यू प्रमाण पत्र बना के अनुदान योजना के 5 लाख रूपये बैक ऑफ बडौदा जैसलमेर ब्राच के खाता संख्या 08528100002563 में व 2 लाख रूपये बैक ऑफ बडौदा खुहड़ी ब्रांच के खाता संख्या 22688100001525 में वर्ष 2017 के फरवरी और सितम्बर माह में ट्रान्सफर किये है उक्त दम्पति आज दिनांक में सकुश्ल है। उक्त अधिकारी द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुए ग्राम बैरिसियाला के उक्त दम्पति के अलावा श्रीमति मौर कंवर पत्नि डूंगरसिंह, छोटुसिंह पुत्र किशनसिंह, जोगराज सिंह पुत्र भेरूसिंह, मोर कंवर पत्नि मगसिंह के नाम के फर्जी दस्तावेजो से आवेदन करवाकर श्रमिक डायरी धारको को सामान्य या दुर्घटना में मौत होने पर सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान योजना का भुगतान उठा कर गबन किया गया है। उक्त अधिकारी द्वारा श्रमिक डायरी धारको के सामान्य या दर्घटना में मौत होने पर श्रम कल्याण विभाग द्वारा दी जाने वाली अनुदान योजना के तहत जिन आवेदनों को वितीय स्वीकृति जारी की गयी है उन सभी दस्तावेजो की बारीकी से जांच करने पर अन्य कई और खुलासे होने की पूर्ण सम्भावना है । साथ ही तत्का0 अधिकरी द्वारा सुलभ आवास योजना में भी घोटाला कर राजकोष का गबन किया है। इत्यादी आरोपो पर प्राथमिक जांच संख्या 63 दिनांक 04.12.2023 विरूद्ध श्री भवानीप्रताप चारण श्रम कल्याण अधिकारी जैसलमेर एवं अन्य के विरूद्ध पंजीबद्ध होने पर निर्देशानुसार इसकी जांच कार्यवाही द्वारा की गयी तो वाछित रिकोर्ड प्राप्त किया जाकर तीन

गवाह श्री पूरणसिंह परिवादी , श्री गजेसिंह, श्री छोटूसिंह एवं ग्राम बैरसिंयाला के ग्राम विकास अधिकारी श्री गौरव मीणा के बयान लिये गये तथा श्री भवानी प्रताप चारण श्रम कल्याण अधिकारी जैसलमेर, श्री किशन , श्री जोगराजसिंह , श्री अमृत लाल , श्री लीलसिंह, श्री दीपाराम के स्पष्टीकरण लिये गये तथा प्राथमिक जांच के सत्यापन से पाया गया कि श्री भवानी प्रतापसिंह चारण वर्ष 2017 में श्रम कल्याण अधिकारी जैसलमेर के पद पर कार्यरत रहे है। उन्होने अपने कर्मचारियों व प्राईवेट व्यक्तियो से मिलिभगत कर ग्राम पंचायत बैरसियाला के कुल पांच लोगो की श्रमिक डायरिया फर्जी दस्तावेजो से तैयार कर उनके फर्जी मृत्यू प्रमाण पत्र बनाकर श्रमिक डायरी धारकों को सामान्य व दुर्घटना में मौत होने पर राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान योजना में आवेदन करवाकर आवेदकों की वित्तीय स्वीकृति जारी कर मृतको के अनुदान को अपने पहचान के लोगो के नाम से बैकों में खाते खुलवाकर अनुदान राशि को ट्रान्सफर किया गया। उल्लेखनिय यह है कि बैक खाता धारक व मृतकों का किसी प्रकार का कोई खून का रिश्ता नहीं होकर अलग जाति के होने के बावजूद उनके खातों में राशियां हस्तान्तरण की गयी। इसके अलावा जांच से यह भी पाया गया कि जिन व्यक्तियों को मृतक बताया गया है उक्त लोग वर्तमान में जीवित है। इस तरह श्री भवानी प्रताप चारण व अन्य ने मिलिभगत कर फर्जी अनुदान राशि प्राप्त कर पांच लोगो के नाम से मृतक अनुदान राशि प्राप्त की है जिसका खुलाशा विवरण निम्न प्रकार है- 1 श्रीमति धाउ कंवर पत्नि गजेसिंह निवासी बैरसियाला का श्रम विभाग जैसलमेर से प्रार्थनापत्र संख्या बी 15/2017/0016190 बनाया गया। धाउ कंवर की मृत्यू के संबध में श्रम विभाग में श्रीमति मीरा कंवर के नाम का मृत्यू प्रमाण पत्र लगाकर दिनांक 17.05.2016 को श्रीमति धाउ कंवर की मृत्यू होने बाबत श्रम विभाग जैसलमेर में दावा श्री आसूसिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया तथा दावे के लिये श्री किसन नाम के व्यक्ति का बैक ऑफ बडोदा जैसलमेर के खाता संख्या 08528100002063 लगाया गया। श्रम विभाग से श्री भवानी प्रताप चारण ने श्री आसूसिंह व श्री किसन से मिलिभगत कर धाउ कंवर के नाम से कुल पांच लाख रूपये की अनुदान राशि स्वीकृत होकर श्री किसन के खाते में दिनांक 05.04.2017 को जरिये नेफ्ट जमा हुई। जिसका आहरण श्री किसन द्वारा चार लाख रूपये दिनांक 06.04.2017 को बैक ऑफ बडोदा शाखा जैसलमेर मे से अपने उपरोक्त खाते से किया गया। शेष 1,03000 रूपये भी दिनांक 06.04.2017 को श्री किसन द्वारा आहरित किये गये। ग्राम पंचायत से प्राप्त रिकोर्ड अनुसार श्रीमति धाउ कंवर वर्तमान में जीवित है तथा धाउ कंवर के नाम से श्रम विभाग में श्रीमति मीरा कंवर के नाम का फर्जी मृत्यू प्रमाण पत्र श्री किसन ओड नामक व्यक्ति जो धाउ कंवर का किसी भी रूप मे रिश्तेदार नही था फिर भी मृतक अनुदान राशि पांच लाख रूपयें उसके खाते में हस्तान्तरण करवायी जिस राशि को श्री भवानी प्रताप चारण व श्री किसन व आसूसिंह ने मिलिभगत कर बैक से आहरण कर इस राशि को आपस में बन्दरबाट की गयी है। 2 श्रीमति धाउ कंवर पत्नि गजेसिंह निवासी बैरसियाला का श्रम विभाग जैसलमेर से प्रार्थनापत्र संख्या बी 15/2016/0206843 बनाया गया। धाउ कंवर की मृत्यू के संबध में श्रम विभाग में श्रीमति मीरा कंवर के नाम का मृत्यू प्रमाण पत्र लगाकर दिनांक 17.05.2016 को श्रीमति धाउ कंवर की मृत्यू होने बाबत श्रम विभाग जैसलमेर में दावा श्री आसूसिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया तथा दावे के लिये श्री जोगराजसिंह नाम के व्यक्ति का बैक ऑफ बडोदा शाखा खूहड़ी के खाता संख्या 22688100001252 लगाया गया। श्रम विभाग से श्री भवानी प्रताप चारण ने श्री आसूसिंह व श्री जोगराजसिंह से मिलिभगत कर धाउ कंवर के नाम से कुल दो लाख रूपये की अनुदान राशि स्वीकृत होकर श्री जोगराजसिंह के खाते में दिनांक 08.02.2017 को जरिये नेफ्ट जमा हुई। जिसका आहरण श्री जोगराजसिंह द्वारा चैबीस हजार रूपये दिनांक 20.03.2017 को बैक आॅफ बडोदा शाखा खुहड़ी मे से अपने उपरोक्त खाते से किया गया। शेष 1,16,000 रूपये भी दिनांक 06.04.2017 को श्री जोगराजसिंह द्वारा आहरित किये गये। ग्राम पंचायत से प्राप्त रिकोर्ड अनुसार श्रीमति धाउ कंवर वर्तमान में जीवित है तथा धाउ कंवर के नाम से श्रम विभाग में श्रीमति मीरा कंवर के नाम का फर्जी मृत्यू प्रमाण पत्र श्री जोगराजसिंह नामक व्यक्ति जो धाउ कंवर का रिश्ते में देवर है उसके द्वारा अपनी भाभी धाउ कंवर की मृत्यु साधारण मौत बताकर अन्य महिला श्रीमति मीरा कंवर का मृत्यू प्रमाण पत्र लगाकर इस मृत्यू अनुदान राशि को अपने बैक खाते में जमा करवाकर आहरण किया है। श्रीमति धाउ कंवर के आज तक जीवित होने के बाद भी मृतक अनुदान राशि दो लाख रूपयें उसके खाते में हस्तान्तरण करवायी जिस राशि को श्री भवानी प्रताप चारण व श्री जोगराजसिंह , श्री किसन व आसूसिंह ने मिलिभगत कर बैक से आहरण कर धाउ कंवर की मृत्यू दो बार बताकर क्रमशः पांच लाख व दो लाख रूपये कुल सात लाख रूपये मृत्यू अनुदान फर्जी बैक खातो में जमा करवाकर उक्त राशि का आपस में बन्दरबाट किया है। 3. श्री छोटूसिंह पुत्र श्री किशनसिंह निवासी बैरसियाला का श्रम विभाग जैसलमेर से प्रार्थनापत्र संख्या बी 15/2016/0207237 बनाया गया। छोटूसिंह की मृत्यू के संबध में श्रम विभाग में श्री छोटूसिंह के नाम का फर्जी मृत्यू प्रमाण पत्र लगाकर दिनांक 03.08.2016 को श्री छोटूसिंह की मृत्यू होने बाबत श्रम विभाग जैसलमेर में दावा श्री लीलसिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया तथा दावे के लिये श्री लीलसिंह नाम के व्यक्ति का यूको बैक जैसलमेर के खाता संख्या 21270110048184 लगाया गया। श्रम विभाग से श्री भवानी प्रताप चारण ने श्री आसूसिंह व श्री लीलसिंह से मिलिभगत कर छोटूसिंह के नाम से कुल दो लाख रूपये की अनुदान राशि स्वीकृत होकर श्री लीलसिंह के खाते में दिनांक 10.11.2016 को जरिये नेफ्ट जमा हुई। जिसका आहरण श्री लीलसिंह द्वारा दस हजार रूपये दिनांक 15.11.2016 को तथा दिनांक 16.11.2016 को 9500 रूपये सेल्फ चैक द्वारा , दिनांक 17.11.2016 को श्री शंकरदान नाम के व्यक्ति द्वारा पच्चास हजार रूपये तथा दिनांक 21.11.2016 को उक्त खाते में से श्री हिगलाजदान नाम द्वारा जरिये चैक दोनो द्वारा आहरित किये गये

है। ग्राम पंचायत से प्राप्त रिकोर्ड अनुसार श्री छोटूसिंह वर्तमान में जीवित है तथा छोटूसिंह के नाम से श्रम विभाग में फर्जी मृत्यू प्रमाण पत्र श्री लीलसिंह नामक व्यक्ति जो छोटूसिंह का किसी भी रूप मे रिश्तेदार नही था फिर भी मृतक अनुदान राशि दो लाख रूपयें उसके खाते में हस्तान्तरण करवायी जिस राशि को श्री भवानी प्रताप चारण व श्री लीलसिंह ने मिलिभगत कर बैक से आहरण कर इस राशि को आपस में बन्दरबाट की गयी है। 4.श्री जोगराजसिंह पुत्र श्री भैरूसिंह निवासी बैरसियाला का श्रम विभाग जैसलमेर से प्रार्थनापत्र संख्या बी 15/2017/0016194 बनाया गया। जोगराजसिंह की मृत्यू के संबध में श्रम विभाग में श्री जोगराजसिंह के नाम का फर्जी मृत्यू प्रमाण पत्र लगाकर दिनांक 17.04.2017 को श्री जोगराजसिंह की मृत्यू होने बाबत श्रम विभाग जैसलमेर में दावा श्री आसूसिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया तथा दावे के लिये श्री अमृतलाल नाम के व्यक्ति का पंजाब नैशनल बैक जैसलमेर के खाता संख्या 18472191015696 लगाया गया। श्रम विभाग से श्री भवानी प्रताप चारण ने श्री आसूसिंह व श्री अमृतलाल से मिलिभगत कर जोगराजसिंह के नाम से कुल पांच लाख रूपये की अनुदान राशि स्वीकृत होकर श्री अमृतलाल ओड के खाते में दिनांक 19.10.2016 को जरिये नेफ्ट जमा हुई। जिसका आहरण श्री अमृतलाल द्वारा 4,95,000 रूपये दिनांक 20.10.2016 को पंजाब नैशनल बैक शाखा गांधी कालोनी जैसलमेर मे से अपने उपरोक्त खाते से किया गया। ग्राम पंचायत से प्राप्त रिकोर्ड अनुसार श्री जोगराजसिंह वर्तमान में जीवित है तथा जोगराजसिंह के नाम से श्रम विभाग में फर्जी मृत्यू प्रमाण पत्र श्री अमृतलाल ओड नामक व्यक्ति जो जोगराजसिंह का किसी भी रूप मे रिश्तेदार नही था फिर भी मृतक अनुदान राशि पांच लाख रूपयें उसके खाते में हस्तान्तरण करवायी जिस राशि को श्री भवानी प्रताप चारण व श्री अमृतलाल ओड व आसूसिंह ने मिलिभगत कर बैक से आहरण कर इस राशि को आपस में बन्दरबाट की गयी है। इस प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि श्रीमति धाउ कंवर की मृत्यू बताकर साधारण मृत्यू अनुदान दो लाख रूपये जोगराजसिंह ने अपने खाते में जमा करवाकर आहरण किये थे तथा इस प्रकरण में श्री जोगराजसिंह ने स्वंय की झूठी मृत्यू होना दर्शाकर मृत्यू अनुदान की राशि पांच लाख रूपये श्री अमृतलाल नामक व्यक्ति के खाते में जमा हुई है। 5. श्रीमति मोर कंवर पत्नि मगसिंह निवासी बैरसियाला का श्रम विभाग जैसलमेर से प्रार्थनापत्र संख्या बी 15/2017/0016193 बनाया गया। मोर कंवर की मृत्यू के संबध में श्रम विभाग में श्रीमति मोर कंवर के नाम का फर्जी मृत्यू प्रमाण पत्र लगाकर दिनांक 04.02.2017 को श्रीमति मोर कंवर की मृत्यू होने बाबत श्रम विभाग जैसलमेर में दावा श्री आसूसिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया तथा दावे के लिये श्री दीपाराम नाम के व्यक्ति का स्टेट बैक ऑफ इण्डिया शाखा एलआईसी जैसलमेर के खाता संख्या 10973594854 लगाया गया। श्रम विभाग से श्री भवानी प्रताप चारण ने श्री आसूसिंह व श्री दीपाराम ओड से मिलिभगत कर मोर कंवर के नाम से कुल पांच लाख रूपये की अनुदान राशि स्वीकृत होकर श्री दीपाराम के खाते में दिनांक 06.10.2016 को जरिये नेफ्ट जमा हुई। जिसका आहरण श्री दीपाराम द्वारा जरिये चैक श्री अमृतलाल को दिनांक 07.10.2016 को 4,99,500 रूपये भूगतान किया गया। ग्राम पंचायत से प्राप्त रिकोर्ड अनुसार श्रीमति मोर कंवर वर्तमान में जीवित है तथा मोर कंवर के नाम से श्रम विभाग में श्रीमति मोर कंवर के नाम का फर्जी मृत्यू प्रमाण पत्र श्री दीपाराम ओड नामक व्यक्ति जो मोर कंवर का किसी भी रूप मे रिश्तेदार नही था फिर भी मृतक अनुदान राशि पांच लाख रूपयें उसके खाते में हस्तान्तरण करवायी जिस राशि को श्री भवानी प्रताप चारण व श्री दीपाराम व आसूसिंह ने मिलिभगत कर बैक से आहरण कर इस राशि को आपस में बन्दरबाट की गयी है। इस तरह उपरोक्त विवेचन से पाया जाता है कि श्री भवानीप्रताप चारण जिला श्रम कल्याण अधिकारी ने अपने स्टाफ व उपरोक्त वर्णित प्राईवेट व्यक्तियो से मिलिभगत कर जीवित श्रमिको के फर्जी मृत्यू प्रमाण पत्र प्राप्त कर एक श्रमिक की तो दो बार मृत्यू बताकर तथा उसकी पत्रावली में अन्य मृतक महिला का फोटो लगाकर तथा जोगराजसिंह द्वारा पूर्व में स्वयं को मृतक का अश्रित बताकर अपने खाते में राशि प्राप्त की बाद में स्वयं की भी मृत्यू होना बताया। उपरोक्त वर्णित मृतक ग्राम पंचायत रिकोर्ड अनुसार आज भी जीवित है जबकि उनके नाम से मृतक अनुदान श्रम विभाग से प्राप्त किया जाकर अन्य व्यक्तियों के खाते में जमा हुआ हैं। इस प्राथमिक जांच में अनुरोध है कि श्री भवानी प्रताप चारण श्रम कल्याण अधिकारी जैसलमेर के जैसलमेर कार्यकाल के दौरान श्रमिक कार्ड धारको के नाम से साधारण व दुर्घटनावश पारित किये गये मृत्यू अनुदान की गहनता से अपराध पंजीबद्ध कर जांच की जावें तो करोड़ो रूपये का अनुदान का गबन एवं कई चैकाने वाले तथ्य उजागर हो सकतें हैं। श्री भवानी प्रताप चारण श्रम कल्याण अधिकारी जैसलमेरं, श्री किसन ओड निवासी जैसलमेर, निवासी जैसलमेर, श्री दीपाराम ओड निवासी जैसलमेर, श्री लीलसिंह निवासी बैरसियाला, श्री जोगराजसिंह निवासी बैरसियाला, श्री आसूसिंह निवासी पिथला द्वारा इन चार प्रकरणो में श्रमिक कार्ड धारक की फर्जी मृत्यू दर्शाकर कुल अनुदान राषि 19,00,000/- रूपये का गबन किया गया है। जिसके लिये अपराध पंजीबद्ध कर विस्तृत अनुसंधान की आवश्यकता है। उपरोक्त समस्त का कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 13(1) (सी) (डी) 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं 409, 420, 467, 468, 471 व 120बी भादसं का कारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाता है। लिहाजा इस प्राथमिक जांच में उपरोक्त वर्णित व्यक्तिायों के विरूद्ध अपराध पंजीयन कर विस्तृत अनुसंधान करवाया जाना उचित रहेगा। लिहाजा अपराध पंजीबद्ध कराने के आदेश प्रदान करावें। रिपोर्ट अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ श्रीमान की सेवा में प्रेषित हैं । भवदीय (नरपतचन्द) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जैसलमेर।..........कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नरपतचन्द अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जैसलमेर ने प्रेषित की है मजमून

रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 धारा- 13(1) (सी), (डी), 13(2) अधिनियम - भारतीय दण्ड संहिता धारा 420, 409, 467,468,471, एव 120 बी में आरोपीगण (1) श्री भवानी प्रताप सिंह चारण पिता का नाम - श्री धनसिंह चारण , उम्र 59 वर्ष् निवासी- पीला बगला हेमसिंह की हवेली के पास महामन्दिर जोधपुर तत्कालिन - श्रम कल्याण अधिकारी जैसलमेर हाल जिला रोजगार अधिकारी (2) श्री किशन ओड पिता का नाम - नरपतराम उम्र 27 वर्ष् निवासी - आर.सी.पी. कालोनी हाल बबर मगरा वार्ड नं0 42 जैसलमेर - (प्राईवेट व्यक्ति)। (3) श्री जोगराजसिंह पिता का नाम - श्री भैरूसिंह उम्र 44 वर्ष् निवासी- बैरसियाला तह0 व जिला जैसलमेर - (प्राईवेट व्यक्ति)। (4) श्री अमृत लाल ओड पिता श्री सोनाराम ओड उम्र 35 वर्ष् निवासी - सोनाराम ओड की ढाणी वार्ड नं0 21 जैसलमेर - (प्राईवेट व्यक्ति)। (5) - श्री दीपाराम पिता का नाम श्री केशरराराम ओड उम्र 35 वर्ष् - निवासी बबर मगरा जैसलमेर (प्राईवेट व्यक्ति)। (6) श्री आसकरणसिंह उर्फ आसूसिंह पिता का नाम - श्री जेठमालसिंह रावलोत उम्र 60 वर्ष् निवासी - पिथला तह0 व जिला जैसलमेर (प्राईवेट व्यक्ति)। (7) श्री लीलसिंह पिता का नाम - श्री छोटूसिंह उम्र 28 वर्ष् निवासी - बैरसियाला तह0 व जिला जैसलमेर (प्राईवेट व्यक्ति) व अन्य के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री गोरधनराम पुलिस उप अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ईन्टे0 जोधपुर को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 411 पर अंकित है। (ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1759-63 दिनांक 31-12-2024 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर। 2-शासन सचिव कौशल नियोजन एवं उधमिता विभाग राजस्थान जयपुर। 3-उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जैसलमेर। 5 अतिरिक्त पुलिस अधींक्षक-परिवाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर।(पी.ई. 63/23) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** gordhan ram **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh
Choudhary
Location: Rajasthan,IN
Date: 3[illegible]2/2024 1[illegible]7

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1965				
2	Male	1997				
3	Male	1980				
4	Male	1989				
5	Male	1989				
6	Male	1964				
7	Male	1996				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)						Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)		
14	15	16	17	18	19		20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)